भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3672

04 अप्रैल, 2022 को उत्तर के लिए

इस्पात कबाड़ नीति की शुरूआत

3672. श्री के.आर.एन. राजेश कुमार:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में इस्पात कबाड़ नीति की शरुआत की है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त नीति के अनुसार कबाड़ केन्द्रों की स्थापना की गई है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार ने कबाड़ की बिक्री पर कोई प्रोत्साहन राशि निर्धारित की है और, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कबाड़ केन्द्रों के अनुमोदन में कौन-कौन से मंत्रालय शामिल हैं?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह)**

(क) से (ग): जी, हाँ। इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति को दिनांक 07 नवंबर, 2019 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। इस नीति में विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न फेरस स्क्रैप के वैज्ञानिक प्रसंस्करण एवं पुनर्चक्रण हेतु भारत में धातु स्क्रैप केन्द्रों की स्थापना को सुविधाजनक बनाने एवं प्रोत्साहित करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान की गई है। इस नीति की रूपरेखा में प्रदूषण को रोकने और स्वास्थ्य संबंधी खतरों की रोकथाम करने के लिए संगठित, सुरक्षित और पर्यावरण की दृष्टि से उचित तरीकों से संग्रहण, विघटन एवं श्रेडिंग गतिविधियों हेतु मानक दिशा-निर्देशों का प्रावधान किया गया है।

इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति के अंतर्गत सरकार की भूमिका, उद्यमियों एवं निवेशकों के लिए देश में स्क्रैपिंग केन्द्रों को स्थापित करने हेतु अनुकूल पारिस्थितिक तंत्र सृजित करने के लिए एक सुविधाप्रदाता की है। उद्यमियों द्वारा स्क्रैप केंद्र स्थापित करने के निर्णय वाणिज्यिक सोच-विचारों पर आधारित होते हैं।

चूँकि स्क्रैप केन्द्रों को राज्य सरकारों/संघशासित प्रदेशों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, अतः स्क्रैप केन्द्रों से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

इस्पात मंत्रालय के नियंत्रणाधीन एक सीपीएसई, एमएसटीसी लिमिटेड ने महिन्द्रा एसेलो, जो महिन्द्रा एमएसटीसी रिसाइकिलिंग प्राइवेट लिमिटेड (सीईआरओ) के नाम से जाना जाता है, के साथ एक संयुक्त उद्यम के तहत वाहनों तथा व्हाइट गुड्स के लिए 3 संग्रहण और विघटन केन्द्रों की स्थापना की है।

(घ): सरकार ने स्क्रैप की बिक्री के संबंध में कोई प्रोत्साहन निर्धारित नहीं किया है।

(ङ): स्क्रैप केन्द्रों को राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों की प्राधिकृत एजेंसियों द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

****